उपार्जित अवकाश (P.L. (General information about Privilege Leave)

1. एक सरकारी कर्मचारी को एक कैलेंडर वर्ष में **30** दिन का उपार्जित अवकाश **(Privilege Leave)** देय होता है I

2. एक कर्मचारी अपने अवकाश लेखो में अधिकतम **300** उपार्जित अवकाश अंकित कर सकता है I

3. किसी सरकारी कर्मचारी को एक बार में अधिकतम **120** दिन तक का उपार्जित अवकाश **(Privilege Leave)** स्वीकृत किया जा सकता है I टी बी, कैंसर, कुष्ठ जैसे रोगों इलाज के लिए **300** दिन तक का

उपार्जित अवकाश एक बार में स्वीकृत किया जा सकता है I

4. किसी कैलेंडर वर्ष की एक छह माही के बीच सेवा में नियुक्त होने वाले कर्मचारी को उसके द्वारा की गई प्रत्येक एक माह की पूर्ण सेवा के लिए २**.5** दिन का उपार्जित अवकाश जमा किया जाएगा I इसी प्रकार किसी कर्मचारी की किसी कैलेंडर वर्ष की एक छह माही के बीच मृत्यु**,** पद त्याग**,** बर्खास्तगी की स्थिति में कर्मचारी को उसके द्वारा की गई प्रत्येक पूर्ण एक माह की सेवा के लिए २**.5** दिन का उपार्जित अवकाश जमा किया जाएगा I

5. राजस्थान सिविल सेवा **[**पद भार ग्रहण काल**]** नियम १९८१ के नियम ५४ के अनुसार पद भार ग्रहण कल का पूर्ण उपयोग किये बिना ही जब कोई कर्मचारी अपने नवीन पद पर कार्य ग्रहण कर लेता है तो अनुपियोजित पद भार ग्रहण काल से सामान संख्या में

अधिकतम **15** उपार्जित अवकाश उसके लेखो में जोड़ दिए जायेंगे लेकिन ऐसे उपार्जित अवकाश **(Privilege Leave)** को जोड़ने पर कर्मचारी के अवकाश का अधिकतम बैलेंस **300** से ज्यादा नहीं होगा।

6. एक राज्य कर्मचारी प्रत्येक वर्ष में एक बार अधिकतम **15** दिनों का उपार्जित अवकाश समर्पित कर उनके बदले नकद भुगतान प्राप्त कर सकता है **[** नियम **91**क **]** परन्तु किसी अस्थाई कर्मचारी को एक वर्ष की सेवा पूर्ण करने से पूर्व उपार्जित अवकाश के नकद भुगतान की स्वीकृति नहीं दी जाएगी।

7. समर्पित उपार्जित अवकाश के नकद भुगतान पर कर्मचारी को उस दर से वेतन तथा भत्ते दिए जायेंगे जो अवकाशों के समर्पण का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की तिथि को प्रभावी थे।

8. अवकाश वेतन तथा भत्तों की गणना के लिए माह का तात्पर्य **30** दिन से है **।**

9. किसी कर्मचारी की सेवा निवृति पर उस दिन उसके अवकाश लेखों में बकाया अवकाशो के बदले उनके समान अवकाश वेतन की एकमुश्त राशि दी जाएगी लेकिन जिन कर्मचारियों को दंड स्वरुप अनिवार्य सेवा निवृति दी गई है उन्हें यह लाभ देय नहीं है **।** सेवा निवृति पर उपार्जित अवकाशों के नगद भुगतान पर के माह के **30** दिन मान कर नकद भुगतान की गणना की जाती है**।**

10-शीतकालीन अवकाश**,** मध्यावधि अवकाश ग्रीष्मावकाश में कार्य करने एवं प्रशिक्षण में भाग लेने के एवज में प्रति **3** दिन पर एक दिन का उपार्जित अवकाश **(Privilege Leave)** कर्मचारी के लेखे में जोड़ा जायेगा परन्तु एक कैलेंडर वर्ष में **30** दिन से अधिक अवकाश कदापि नहीं जोड़े जायेंगे **।**परन्तु

स्थानान्तरण पर देय योग काल का उपभोग नही करने पर जुड़ने वाले उपार्जित अवकाश अतिरिक्त होंगे । अवकाश का उपभोग करने पर एक दिन में एक उपार्जित अवकाश कम किया जायेगा ।

11. विद्यालयों में अध्यापन कराने वाले शिक्षकों को एक कैलेंडर वर्ष में **15** उपार्जित अवकाश **(Privilege Leave)** देय होगा। किसी कैलेंडर वर्ष की एक छह माही के बीच सेवा में नियुक्त होने वाले शिक्षक को उसके द्वारा की गई प्रत्येक एक माह की पूर्ण सेवा के लिए १**.25** दिन का उपार्जित अवकाश जमा किया जाएगा ।

सरकार द्वारा स्थानान्तरण किये जाने पर एक हजार कि.मी. तक की दूरी वाले स्थान पर कार्यग्रहण करने हेतु **10** दिनों का योगकाल देय है जिसका उपभोग नहीं करने पर निर्धारित प्रारुप में इसके बदले **10** पी. एल. सेवा पुस्तिका में जुड़ाने हेतु आवेदन करना चाहिये ।

यह अवकाश आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है। उपार्जित अवकाश का उपभोग करने के बाद कार्य ग्रहण हेतु प्रार्थना पत्र देना चाहिये ।